कुटीर और लघु उद्योग

438. श्री रामजी लाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कुटीर उद्योग और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों का चयन करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से विभिन्न प्रकार के अनुदान देती रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में हरियाणा और विशेष रूप से हिसार और कुरुक्षेत्र जिलों के लिए कोई वित्तीय प्रावधान किया है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आम आदमी को उद्योग चलाने हेतु और देश के विकास के लिए राज सहायता देना आवश्यक नहीं है;

(च) यदि हां, तो सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कितनी राज सहायता प्रदान करेगी; और

(छ) क्या सरकार इस ओर विशेष ध्यान देते हुए कोई नई योजना तैयार करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 8 पहाड़ी जिलों, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित औद्योगिक एककों को कच्चे माल के लाने-ले जाने तथा परिष्कृत सामान को व चुनिंदा रेल शीर्षों/पत्तनों तक ले जाने तथा लाने पर किये गये व्यय पर परिवहन राजसहायता दी जाती है।

देश में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करने के लिए उद्योग मंत्रालय "एस०ई०ई०यू०आई०" नामक एक योजना चला रहा है। इस योजना के तहत उद्यमियों द्वारा बैंकों से लिए गये ऋण का 25% तक प्रत्यक्ष पूंजीगत राजसहायता भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए दी जाती है। उद्योग, सेवा अथवा व्यापार उद्यमों के लिए ऋण दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा क्रमशः 35,000 रु०, 25,000 रु० और 15,000 रु० है।

राज्यों को संवर्धन स्कीमों के लिए जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के तहत भी अनुदान दिये जाते हैं।

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 1.10.1988 से समाप्त कर दी गई है।

(ग) और (घ) एस०ई०ई०यू० वाई० योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को हर वर्ष राजसहायता की राशि प्रदान की जाती है। राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रवार आबंटन नहीं किये जाते हैं। संवर्धनकारी योजनाओं के अनुदान के बारे में, 1992-93 के दौरान हरियाणा राज्य को 8 लाख रुपये की राशि दी गयी। जिलावार आबंटन उद्योग निदेशालय, हरियाणा द्वारा किया जाता है।

(ङ) और (च) आठवीं योजना में परिवहन राजसहायता के रूप में 20 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। किन्तु यह योजना 31.3.95 तक वैध है। आठवीं योजना की शेष अवधि में एस०ई०ई०यू०आई० योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता की राशि के बारे में और जिला उद्योग केन्द्र संवर्धन योजना के अधीन दी जानी वाली अनुदान राशि के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

(छ) वर्ष 1992-93 के दौरान कोई नई योजना कार्यान्वित करने का विचार नहीं है।

Joint Collaboration with British Companies

439 SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some British companies have shown interest in Joint ventures in the country;

(b) whether it is also a fact that they have submitted proposal to Government in this regard;

(c) if so, the details thereof; and

(d) reaction of Government thereto?